सं. 22-1/2019-पीओ

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(पीओ डिवीजन)

डाक भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 25 मई, 2021

सेवा में,

सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल,
मुख्य महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास निदेशालय/
पार्सल निदेशालय/पीएलआई निदेशालय/सीईपीटी,
निदेशक, आरएकेएनपीए/ सभी डाक प्रशिक्षण केंद्रों के निदेशक,
सभी महाप्रबंधक (वित्त)/डाक लेखा निदेशालय

विषय: कोविड-19 की दूसरी लहर और उसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में लगे लॉकडाउन/कोविड-कर्फ्यू के कारण उत्पन्न व्यवधान को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत समाचार-पत्रों की पोस्टिंग के लिए ग्रेस पीरियड के प्रावधान के संबंध में।

यह पत्र, कोविड-19 की दूसरी लहर और उसके परिणामस्वरूप लगे लॉकडाउन के कारण उत्पन्न व्यवधान को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत समाचार-पत्रों की पोस्टिंग के लिए ग्रेस पीरियड के प्रावधान के संबंध में दिनांक 21 सितंबर, 2020 के समसंख्यक पत्र के क्रम में है।

2. कोविड-19 की अचानक आई दूसरी लहर और उसके बाद विभिन्न राज्यों में लगे लॉकडाउन/ कोविड-19 कर्फ्यू के कारण इसी तरह की स्थिति कुछ अन्य राज्यों में भी उत्पन्न हुई है। देशभर में कई अन्य सेवाओं की तरह, डाक सेवाएं भी इससे पुन: प्रभावित हुई हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के बाद पंजीकृत समाचार-पत्रों की पोस्टिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह मुद्दा, सभी सर्कलों के साथ-साथ देशभर के पंजीकृत समाचार-पत्रों के प्रकाशकों द्वारा भी उठाया गया है।

3. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रकाशकों द्वारा अपने समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को या तो समय पर प्रकाशित/मुद्रित नहीं किया जा सका अथवा वे उसे पोस्टिंग की निर्धारित तारीखों को पोस्ट नहीं कर सके अथवा वे अपने समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को उसके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रकाशित/मुद्रित नहीं कर सके, और बाद में एक अलग/संयुक्त संस्करण जारी करेंगे या अमुद्रित संस्करणों को जारी नहीं किया जाएगा।

CS Scanned with CamScanner

4. चूंकि सभी राज्यों में अलग-अलग समय पर लॉकडाउन लगाया गया है, इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने एक बार फिर प्रकाशकों को **एकबारगी छूट** प्रदान करने का निर्णय लिया है, जैसेकि पहले उन सर्कलों को प्रदान की गई थी, जहां लॉकडाउन लगाया गया था। संबंधित सर्कलों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए निदेश दिए जाते हैं :-

(i) सभी प्रकाशकों को, 5 महीने अर्थात् मार्च, अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई, 2021 के उनके संस्करणों को ग्रेस पीरियड प्रदान करते हुए, अगस्त, 2021 तक पोस्ट करने की अनुमति दी जा सकती है। प्रकाशकों/समाचार-पत्रों आदि के मालिकों/प्रबंधकों को अगस्त, 2021 तक कई संस्करणों को मिलाकर अथवा कुछ संस्करणों को छोड़ते हुए अपने समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को अपनी सुविधा के अनुसार प्रकाशित किए जाने की अनुमति दी जाएगी। यह व्यवस्था उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित सभी समस्याओं को हल करने में प्रकाशकों के लिए सहायक सिद्ध होगी।

(ii) सभी प्रकाशकों को, पोस्टिंग कार्यालय के समन्वय से, अगस्त, 2021 तक किसी भी तारीख को अपने निर्गमों को पोस्ट करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए संबंधित पीएमजी का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) सर्कल, क्षेत्र और डिवीजन द्वारा, स्टाफ की उपलब्धता तथा फ्यूमिगेशन आदि जैसी सैनिटाइजेशन संबंधी सुरक्षा सावधानियों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, पोस्टिंग कार्यालय में बदलाव किया जा सकता है।

(iv) यह एक **अस्थायी व्यवस्था** होगी और पंजीकृत समाचार-पत्रों की पोस्टिंग/प्रकाशन के संबंध में केवल 5 माह अर्थात् मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 2021 के लिए लागू होगी। उपरोक्त 5 माह के दौरान मुद्रित/प्रकाशित होने वाले पंजीकृत समाचार-पत्रों को अगस्त, 2021 तक पोस्ट किया जा सकता है।

5. इन अनुदेशों को सभी पंजीकृत समाचार-पत्रों के प्रबंधकों/प्रकाशकों/मालिकों के साथ-साथ देशभर के सभी बुकिंग तथा वितरण डाकघरों के स्टाफ की जानकारी में लाया जाए।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुकृति गुप्ता

(सुकृति गुप्ता)
सहायक महानिदेशक (पीओ)
फोन : 011-23096005
ई-मेल : podivisiondte@gmail.com

प्रति :- अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

CS Scanned with CamScanner